



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2()परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/स्थाना/पद./APO/2018/पार्ट-4/1695 जयपुर दिनांक:- 26/X/2020

—:आदेश:—

राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त अनुमति उपरान्त निम्नलिखित विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर राज्यहित में तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम विकास अधिकारी सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती	कहां से	कहां को	विशेष विवरण
1.	रमेश मदान	खैराबाद (कोटा)	श्रीकरणपुर(श्रीगंगानगर)	रिक्त पद पर
2.	रामचन्द्र जाट	आदेशों की प्रतीक्षा में	खैराबाद (कोटा)	श्री रमेश मदान के स्थान पर
3.	मीना नीरू तुलसीराम	परि. अधिकारी जयपुर	पावटा (जयपुर)	रिक्त पद पर
4.	रामावतार शर्मा	फलौदी (जोधपुर)	सिणधरी (बाडमेर)	रिक्त पद पर
5.	शर्मिला छल्लाणी	परि. अधिकारी जोधपुर	विजयनगर(श्रीगंगानगर)	रिक्त पद पर

उपरोक्त अधिकारी प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित पदस्थापित स्थान से अविलम्ब कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति आदेशानुसार नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

(गौरव चतुर्वेदी)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त सचिव (एल.टी.)/संयुक्त सचिव (जी.बी.), मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
8. जिला कलक्टर, संबंधित।
9. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति संबंधित।
11. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
12. ए.सी.पी मुख्यालय को आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
13. आदेश पत्रावली।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)